न्यायालय :— उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :— 07 / 2020
प्रकरण दर्ज तिथि :— 20.10.2020

मारवाड एस्टैट डवलपर्स प्राइवेट लि. रजिस्टर्ड ऑफिस नं. 1 मरूधर मार्केट मेवाडी गेट के अन्दर महावीर बाजार ब्यावर जिला अजमेर मार्फत अकिंत कुकलोंल पुत्र श्री राजेन्द्र कुकुलोंल कौम जैन निवासी—ब्यावर, तहसील—ब्यावर, जिला—अजमेर, **प्रार्थी**

बनाम

1. पटवारी पटवार हल्का झाला की चौकी तहसील रायपुर
2. तहसीलदार रायपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते सीमाकन एवं पत्थरगड्डी अन्तर्गत धारा 111 आर एल आर एक्ट 128 राज. काश्त. अधि. एवं प्रार्थना पत्र सेक्सन 151 सी.पी.सी.

उपस्थित : 1. श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता प्रार्थी
2 तहसीलदार रायपुर अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक : 15.03.2022**

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रार्थी की खरीद सुदा भुमि सरहद मौजा ग्राम फताखेडा पटवार हल्का झाला की चौकी, भू. अभि. नि. क्षैत्र काणुजा, तहसील रायपुर पाली में खसरा सं. 43 / 109 रक्बा 05 बिघा, किस्म बारानी अव्वल आई है। उपरोक्त खातेदारी आराजी की चालु जमाबन्दी व ट्रेस नक्शे की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है तथा जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग समझा जावें। उक्त आराजी को आगे विवादित आराजी के नाम से पढा जायेगा। उक्त भुमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दर्ज रेकर्ड है एवं राजस्व रेकर्ड मे उक्त भुमि तरमीन है। राजस्व रेकर्ड मे तरमीन अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त है एवं वो बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त कर रहा हैं। उक्त भुमि पर चारों ओर मिट्टी का पाला दिया हुआ है। एवं प्रार्थी जब भी उक्त भुमि पर काश्त करता है तो आवारा जानवर फसल को नुकसान पहुँचाते है एवं प्रार्थी को आर्थिक हानि पहुचाते है। इससे बचने के लिए प्रार्थी चारों तरफ पक्की दिवार या तारबंदी करवाना चाहता हैं। उक्त भुमि के दों तरफ प्रार्थी की आवासीय भुमि आई हुई है एव दो तरफ सरकारी भुमि आई हुई है जिस पर ग्रामीण कब्जा कर उक्त सरकारी भुमि पर बैठे है। कभी कभी वो प्रार्थी की भुमि पर नाजायज कब्जा करने की नियत रखते हुए प्रार्थी को परेशान करते रहते है। इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 को भुमि नापने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी सं. 1 राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त भुमि का सीमाकन करना शुरू किया तो आस पडौस के अवैध कब्जाधारी उनका विरोध करने लग गये की हम हमारे हिस्से मे नही आने देगें एवं न ही विवादित भुमि को नापने देगें । जिससे अप्रार्थी सं. 1 ने सीमाकन करने से मना कर दिया कि उक्त भुमि पर विवाद की स्थिति बनी हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

इसलिए उक्त भुमि का सींमाकन नहीं किया जा सकता है आप सक्षम न्यायलय से सींमाकन एवं पत्थरगड्डी के आदेश लाकर देवे जिससे आपकी भुमि का सींमाकन किया जाकर आप को सुचित कर दिया जायेगा एवं अगर आवश्यकता होने पर प्रलिश प्रशासन की अनुमति साथ लेकर आयें जब ही आपकी भुमि पर हम सींमाकन की कार्यवाही करेगें। विवादित भुमि का सींमाकन करवाने हेतु अप्रार्थी के द्वारा विवाद कि स्थिति मे सींमाकन करने से मना करने से उक्त प्रार्थना पत्र कि आवश्यकता हुई। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विवादित भुमि का सींमाकन एवं पत्थरगड्डी हेतु अपार्थीगण को आदेश प्रदान करावें एवं मौके पर फिर भी विवाद कि स्थिति हो तो पुलिश प्रशासन भी उपलब्ध करवाने का आदेश प्रदान करावं जिससे प्रार्थी अपनी भुमि के चारों तरफ फसल को नुकसान से बचाने के लिए तारबदी या पक्की दिवार का निर्माण कर सके जिससे भविष्य मे होने वाली हानि से बचा जा सके। उक्त भुमि के दो तरफ सरकारी भुमि होने एवं दो तरफ स्वयं कि आवेदित भुमि होने से सरकारी भुमि के मालिक तहसीलदार रायपुर को पक्षकार बनाया है एवं सींमाकन करने हेतु अप्रार्थीगण की आवश्यकता होने से अप्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र पेश कर इस्तेदुआ है कि ग्राम सरहद मौजा ग्राम फताखेडा पटवार हल्का झाला की चौकी, भू. अभि. नि. क्षैत्र काणुजा, तहसील रायपुर पाली में खसरा सं. 43/109 रक्बा 05 बिघा, किस्म बारानी अव्वल पर फसल को नुकसान से बचाने एवं आस पडौस मे कब्जा धारी से अपनी भुमि को बचाने हेतु प्रार्थी सींमाकन एवं पत्थरगड्डी करवाना चाहता है हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रकर्ड अनुसार मौके पर नाप शुरू करने पर आड पडौस के कब्जाधारी द्वारा मौके पर विवाद उत्पन्न करने से उक्त प्रार्थना पत्र की आवश्यकता होने से ख. न. 43/109 का सींमाकन एवं पत्थरगड्डी का आदेश प्रदान करावें एवं मौके पर विवाद ज्यादा होने से सींमाकन एवं पत्थरगड्डी करते समय पुलिस प्रशासन भी उपलब्ध करवाने की कृपा करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की तलबी-की गई। अप्रार्थी तहसीलदार रायपुर का सम्मन तामिल सुदा प्राप्त हुआ हैं। बहस समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् प्रार्थी की सरहद मौजा ग्राम फताखेडा पटवार हल्का झाला की चौकी, भू. अभि. नि. क्षैत्र काणुजा, तहसील रायपुर पाली में खसरा सं. 43/109 रक्बा 05 बिघा, किस्म बारानी अव्वल के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं एंव अपने स्वामित्व की भूमि में पत्थरगढ़ी करवाने का विधिक अधिकारी हैं। अतः प्रार्थी की भूमि का नियमानुसार सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम फताखेड़ा पटवार हल्का झाला की चौकी, भू. अभि. नि. क्षैत्र काणुजा, तहसील रायपुर पाली में खसरा सं. 43 / 109 रकबा 05 बिघा, किस्म बारानी अव्वल का बाद विधिसम्मत प्रकिया अनुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को इस आदेश के साथ प्रेषित की जावें कि उक्त भूमि का सीमांकन शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी किया जावें एवं मौके पर परिशांति कायम एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)